प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 277 सन 2021

अनवान :–

1. प्रदीप पुत्र दुलीचन्द्र जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र कुशलाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
2. बगडावत पुत्र दुलीचन्द जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
3. राकेश पुत्र दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
4. आत्माराम पुत्र दुलीचन्द जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री दुलीचन्द पत्नी जिलेसिह जाति जाट साकिन मालिया हाल निवासी खेडी तहसील व जिला सिरसा
6. गायत्री पुत्री दुलीचन्द्र पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी मालिया हाल निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 60/65 की कुल 15.2310हैव में से 8462/25385 हिस्सा एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 86/89 की कुल 6.2240हैक में से 9867/92240 हिसा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कुशलाराम वल्द बुधराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कुशलाराम वल्द बुधराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कुशलाराम वल्द बुधराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजरव रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई गर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजरव रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कुशलाराम वल्द बुधराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निरतारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि कुशलाराम वल्द बुधराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कुशलाराम वल्द बुधराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा कुशलाराम वल्द बुधराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 60/65 की कुल 15.2310हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 8462/25385 हिस्सा, में वादी अकेला 2.03088हैक, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.01544हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.01544हैक एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.01544हैक भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 86/89 की कुल 6.2240हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 9867/62240हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 113/117 की कुल 16.4960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 6889/16496 हिस्सा में से 5.4975हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.63915हैक भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनयुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .अरड़की

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–
1. प्रदीप पुत्र दुलीचन्द्र जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र कुशलाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
2. बगड़ावत पुत्र दुलीचन्द जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
3. राकेश पुत्र दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
4. आत्माराम पुत्र दुलीचन्द जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री दुलीचन्द पत्नी जिलेसिह जाति जाट साकिन मालिया हाल निवासी खेडी तहसील व जिला सिरसा
6. गायत्री पुत्री दुलीचन्द्र पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी मालिया हाल निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 277 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 60/65 की कुल 15.2310हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 8462/25385 हिस्सा, में वादी अकेला 2.03088हैक, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.01544हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.01544हैक एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.01544हैक भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 86/89 की कुल 6.2240हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 9867/62240हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 113/117 की कुल 16.4960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 6889/16496 हिस्सा में से 5.4975हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.63915हैक भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी नोहर
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....अरड़की

Scanned with CamScanner